भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2811**

**(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)**

**बैंकों में निधि‍ का गबन**

2811. श्री परिमल नथवानीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विमुद्रीकरण के पश्चात अनियमित लेनदेन करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले, बैंकों में कुप्रबंधन करने वाले बैंकों/अधिकारियों का निजी क्षेत्र के बैंकों सहित, बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में बैंकों की निधि‍ के गबन तथा ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने तथा बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) और (ख): सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) ने सूचित किया है कि विमुद्रीकरण के दौरान पायी गई अनियमितताओं के आधार पर दिनांक 01.05.2017 की स्थिति के अनुसार, उन्होंने 209 अधिकारियों को निलंबित तथा 132 अधिकारियों को स्थानान्तरित किया है। बैंकों ने, जहां कहीं भी उचित प्रतीत हुआ है, केंद्रीय आसूचना ब्‍यूरो (सीबीआई)/पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 29 नवम्बर, 2016 के परिपत्र द्वारा बैंकों को निर्दिष्‍ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय/जमा करने में संलिप्‍त शाखाओं में स्टाफ द्वारा अपनायी जा रही गलत पद्धतियों और किए जा रहे गलत कार्यों की रोकथाम/पहचान/नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने का परामर्श दिया था। उक्त परिपत्र में बैंकों को बैंक में एसबीएन के विनिमय/जमा करने में गलत पद्धतियों की पहचान करने और उसकी रोकथाम के लिए शाखाओं में अचानक दौरों/संविक्षाओं सहित आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का परामर्श भी दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के 08 दिसम्बर, 2016 के डीबीएस परिपत्र संदर्भ सं. डीबीएस.सीओ.पीपीडी/4480/11.01.005/2016-17 के माध्यम से बैंकों को परामर्श दिया गया था कि भारी मात्रा में नकदी प्रवाहों के पूरे मार्ग पर नजर रखी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरबीआई के विद्यमान अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस परामर्श के साथ कि अपने निष्कर्षों के सारांश को आरबीआई को सूचित करने के साथ स्थिति की निगरानी करने और जानकारी में आयी किन्हीं विसंगतियों को ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष लाने के लिए 22 कार्रवाई बिन्दुओं की (नमूने के तौर पर) एक सूची भी बैंकों को अग्रेषित की गयी थी।

\*\*\*\*\*